

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 11/2024 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. सुनिल कुमार पुत्र लाल सिंह यादव निवासी ट्रांसपोर्ट नगर, कोटपुतली हाल डेरोली तहसील नारनोल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

—प्रार्थी

बनाम

1. थानाधिकारी, हनुमान नगर जिला शाहपुरा।

—अप्रार्थी/विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता

उपस्थित –

1. अधिवक्ता प्रार्थी— अनिल शर्मा।



निर्णय

दिनांक : 03.04.2024

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि प्रार्थी का वाहन अशोका लिलेण्ड सी. ए. 1815 जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर RJ3GJD0693 जिसे पुलिस द्वारा मुकदमा संख्या 37/2024 पुलिस थाना, हनुमान नगर के अपराध अंतर्गत धारा 5, 6, 8 राज0 गोवंश अधिनियम, 1995 में जब्त किया है। पुलिस को तफतीस में उक्त वाहन की अब कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय द्वारा जब भी उक्त वाहन को तलब किया जायेगा प्रार्थी अपने स्वयं के खर्च से उपस्थित कर देगा। प्रार्थी उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त करने हेतु संतुष्टि प्रतिभूति व स्वयं का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का वाहन अशोका लिलेण्ड सी.ए. 1815, रजिस्ट्रेशन नंबर RJ32JD0693 को प्रार्थी को सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान कराने हेतु निवेदन किया गया है।

- 2— प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.02.2024 को पंजीबद्ध करते हुए विपक्षी से प्रकरण में की गयी कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की गयी। थानाधिकारी, हनुमान नगर द्वारा पत्रांक 779 दिनांक 13.03.2024 से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रकरण के अनुसंधान में जब्तशुदा घटना में प्रयुक्त वाहन की आवश्यकता है। दिनांक 13.03.2024 को इस न्यायालय द्वारा थानाधिकारी हनुमान नगर को 10 दिवस में वाहन मालिक से अनुसंधान पूर्ण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित करने हेतु पत्र जारी करने के उपरान्त भी थानाधिकारी हनुमान नगर द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

- 3— प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन वाहन अशोका लिलेण्ड सी.ए. 1815, रजिस्ट्रेशन नंबर RJ32GD0693 थाना परिसर में पड़े-पड़े खराब हो रहा है। अतः प्रार्थी को उक्त वाहन जमानत पर

4- सुपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।  
प्रार्थी की बहस सुनी गयी एवं दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक विनिश्चय AIR2003SC638 सुन्दरबाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को विचारण के लंबन काल के दौरान मालखाने के बाबत प्रकरण के विचारण से पूर्व सुपुर्दगी पर या अंतिम निस्तारण बाबत आदेश आज्ञापक रूप से पारित कर देना चाहिए।

5- हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी से निम्न किसी अन्य व्यक्ति ने जप्तशुदा उक्त वाहन का सुपुर्द किये जाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र या क्लेम पेश नहीं किया है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त न्यायिक वृष्टान्त में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में जप्तशुदा वाहन का नियमानुसार निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है एवं अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतएव-

### आदेश


अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के संतुष्टिप्रद 30,00,000/- (तीस लाख) रुपये का जमानत नामा व 25,00,000/- (पच्चीस लाख) रुपये का सुपुर्दगीनामा पेश कर तस्दीक किये जाने से पुलिस द्वारा जप्त किये गये वाहन अशोका लिलेण्ड सी.ए. 1815, रजिस्ट्रेशन नंबर RJ32GD0693 जिसके इंजन नंबर NCHZ428510, चेचिस नंबर MB1AZHCD1NRCC1561 को प्रार्थी को निम्न शर्तों पर अंतरिम रूप से सुपुर्द किये जाने का आदेश दिया जाता है, यदि प्रार्थी-

1. वाहन को जब भी न्यायालय तलब करेगा, तब प्रार्थी वाहन को स्वयं के खर्चे पर पेश करेगा।
2. वाहन के रंग रोगन/आकार-प्रकार में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा।
3. वाहन को बिना न्यायालय की अनुमति के खुर्द-बुर्द नहीं करेगा।

इस संबंध में विपक्षी थानाधिकारी, हनुमान नगर को इस आशय की तहरीर अविलम्ब जारी हो कि यदि पुलिस को किसी अन्य मामले में उक्त वाहन की आवश्यकता हो तो सुपुर्दगी से 24 घण्टे तक वाहन के संबंध में अनुसंधान पूर्ण कर 24 घंटे पश्चात उक्त वाहन अशोका लिलेण्ड सी.ए. 1815, रजिस्ट्रेशन नंबर RJ32GD0693 जिसके इंजन नंबर NCHZ428510, चेचिस नंबर MB1AZHCD1NRCC1561 प्रार्थी को सुपुर्द किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुनार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 3.4.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



  
(मनोज़ सिंह शेखावत)  
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
साहसपुर (ज.)